प्रेषक शासन।

कार्यालय
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
प्राप्त तिथि 23-5-94
प्राप्ति संख्या सं० 4354

(10)

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 20 मई, 1994

विषय:- बाजपुर महायोजना पर शासन की स्वीकृति।

बाजपुर

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 95/23-आर०ए०सी०, दिनांक 1 नवम्बर, 1993 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाजपुर महायोजना पर उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश 1960 की धारा 10-(क) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

2- कृपया महायोजना पर शासन की स्वीकृति की सूचना किन्हीं दो स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। महायोजना समाचार-पत्रों में सूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

3- महायोजना की शासन द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

संलग्नक=उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी)
अनु सचिव।

(2) 23/5/94

संख्या-4492(1)/9-आ-3-93-18महा०/93तद्दिनांक।

1- प्रतिलिपि नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश को महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र बाजपुर नैनीताल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी)
अनु सचिव।